



20/1/15 वकील वादी उपस्थित। वादी वकील ने पत्रावली पर हस्ताक्षर
करके नहीं होने से पत्रावली नोट प्रेष कर खारिज करने का निवेदन
किया। डा. पत्रावली नोट प्रेष करने से खारिज की जाती है पत्रावली
प्रिन्सिपल सुझार लेकर नवंबर से काम हो बाद दफ्तर दाखिल हो।


उपस्थित अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Not press

(अभिप्रेत)
कलका (13)

